UPJB010036672026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जनपद अमरोहा ।

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–962/2026

01. अंकुरपाल पुत्र परम सिंह ,
02. मनोज कुमार पुत्र गनेशी सिह ,
03. रिंकू कुमार पुत्र छत्रपाल सिंह ,
04. पवन सिंह पुत्र लाल सिंह ,
05. वरूण कुमार पुत्र महीपाल सिंह ।

....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

एवं

UPJB010036682026

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–963/2026

01. गुरूवचन सिंह पुत्र हरपाल सिंह ,
02. कुलदीप कुमार पुत्र मुन्नू सिंह ,
03. मनीश कुमार पुत्र अजब सिंह ,
04. रसवीर सिंह पुत्र समरपाल सिंह ,
05. शिव कुमार पुत्र नरायन सिंह ।

....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.06.12 15:31:56 PKT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एवं

UPJB010036692026

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–964/2026

01. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र अमर सिंह ,

02. सोविन्द्र पुत्र राजपाल सिंह ,

03. इरफान पुत्र महबूब अली ,

04. शिवम कुमार पुत्र जसवन्त सिंह,

05. कुलवन्त सिंह पुत्र विजयपाल सिंह ।

....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–285/2026
धारा – **318(4) , 61(2) व 338** बी.एन.एस. ,
थाना – हसनपुर , जिला अमरोहा।

<u>जमानत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण</u>

<u>दिनांकः 12.06.2026</u>

उपरोक्त प्रकरण में अभिरक्षा में निरूद्ध प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **अंकुरपाल पुत्र परम सिंह , मनोज कुमार पुत्र गनेशी सिह , रिंकू कुमार पुत्र छत्रपाल सिंह , पवन सिंह पुत्र लाल सिंह , वरूण कुमार , गुरूवचन सिंह पुत्र हरपाल सिंह , कुलदीप कुमार पुत्र मुन्नू सिंह , मनीश कुमार पुत्र अजब सिंह , रसवीर सिंह पुत्र समरपाल सिंह , शिव कुमार पुत्र नरायन सिंह , धर्मेन्द्र कुमार पुत्र अमर सिंह , सोविन्द्र पुत्र राजपाल सिंह , इरफान पुत्र महबूब अली , शिवम कुमार पुत्र जसवन्त सिंह व कुलवन्त सिंह पुत्र विजयपाल सिंह** की ओर से जमानत हेतु उपरोक्त तीनों पृथक–पृथक द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र नोटप्रेस किये जाने के आधार पर सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं।

02. उपरोक्त तीनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही घटना व अपराध से सम्बन्धित होने के कारण इनको एक ही आदेश के द्वारा निर्णीत किया जाना उपयुक्त है।

03. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा संबंधित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस अभिकथन के साथ दर्ज करायी गयी कि दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० गजरौला–हसनपुर, जनपद अमरोहा में इस चीनी मिल के पेराई सत्र 2025–26 में चीनी मिल परिसर में स्थापित गन्ना तौल काँटों पर निम्नलिखित कर्मचारियों द्वारा अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ

कृषकों से साठ–गाँठ कर निजी स्वार्थ सिद्धि के वशीभूत चीनी मिल को बिना गन्ना आपूर्ति किये पर्चियाँ बनाये जाने के सम्बन्ध में अनियमितता सम्बन्धी तथ्य सामने आये हैं, जिसकी प्रथम दृष्टया जाँच करने पर निम्न कर्मचारियों की संदिग्धता पायी गयी है – धर्मेन्द्र कुमार, सोविन्द्र, इरफान, गुरबचन सिंह, कुलदीप कुमार , मनीष कुमार , शिवम कुमार , कलवन्त सिंह, अंकुरपाल, मनोज कुमार, रसवीर सिंह , रिंकू कुमार , पवन सिंह , वरुण कुमार , शिवकुमार चीनी मिल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जाँच करने पर भी उक्त की पुष्टि होती है। उक्त कर्मचारियों द्वारा कृषक मेहन्दी हसन पुत्र सखावत, ग्राम डक्का, लाल सिंह पुत्र जोरा सिंह, ग्राम नसीरपुर तथा पवन सिंह पुत्र लाल सिंह, ग्राम नसीरपुर के सट्टों पर पर्चियाँ बनायी गयीं। यहाँ यह अवगत कराना है कि मेहन्दी हसन पुत्र सखावत, ग्राम डक्का की मृत्यु हो चुकी है, जिनके सट्टे को इनके पुत्रगण मो० इदरीश, मो० कामिल, मो० उमर, मो० आमिर एवं मो० आदिल द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार लाल सिंह पुत्र जोरा सिंह, ग्राम नसीरपुर की भी मृत्यु हो चुकी है, जिनके सट्टे को इनके पुत्रगण पवन सिंह पुत्र लाल सिंह एवं नरेश पुत्र लाल सिंह, ग्राम नसीरपुर द्वारा संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त कर्मचारियों का उक्त कार्य आपराधिक कृत्य है, जिससे चीनी मिल को लगभग ₹1,00,000/– (एक लाख रुपये) की आर्थिक क्षति हुई है।

04. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से संयुक्त रूप से अपने प्रार्थना पत्रों में कहा गया कि उन्हें गलत व झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कथित अपराध कारित नहीं किया है। कोई साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में तथाकथित नामित व्यक्तियों के बैंक खाते में किसी तरह की कोई धनराशि नहीं आयी है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे , माननीय न्यायालय की शर्तों का पालन करेंगे , इसलिए जमानत की याचना की गयी है।

05. अभियोजन/वादी की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि गंभीर प्रकृति का अपराध है , इसलिए अभियुक्तों के जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

06. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना गया तथा सम्बन्धित केस डायरी का सम्यक अवलोकन किया गया। इन जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैः–

01. किसी एक ही ट्रैक्टर को दो बार तुलवाकर कृषकों के साथ सांठ–गांठ करके नकली पर्चियाँ बनाकर लगभग 1,00,000/– रूपये की आर्थिक क्षति पहुँचाने के प्रयास का आरोप है।

02. पेराई सत्र समाप्त होने पर उक्त कृत्य की जानकारी होते ही भुगतान रोक दिये जाने से वास्तव में कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है।

03. उपरोक्त कृत्य के लिए संभावना के आधार पर ड्यूटी पर नियुक्त सभी 15 कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। किसी भी कर्मचारी पर कोई स्पष्ट आरोप नहीं है।

04. किन कृषकों के साथ साठ–गाँठ की गयी थी , उन कृषकों का न तो कोई उल्लेख है और न ही उन्हें नामजद किया गया है।

05. सुनवाई के समय उपस्थित आये वादी मुकदमा डॉ0 शिवेन्द्र सिंह ढाका के अनुसार सभी 15 नामजद कर्मचारियों की जमानत राशि 50,000/– रूपये प्रत्येक की दर से कुल 7,50,000/– रूपये जब्त कर लिया गया है तथा सभी कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गयी है।

06. आरोपित क्रिया–कलापों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने वाला समग्र साक्ष्य शुगर मिल के कार्यालय व कम्प्यूटर में दर्ज हैं। आरोपित कर्मचारियों को सेवा से बाहर कर दिया गया है , इसलिए साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही है।

07. पूछताछ के लिए विवेचक के समक्ष उपस्थित होने तथा सहयोग करने के लिए बन्धपत्र और प्रतिभूति पत्र उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गयी है।

08. कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्तगण का प्रस्तुत नहीं किया गया है।

09. मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

07. उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है। अतः निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत प्रदान की जा रही है–

1. अभियुक्तगण संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से अवगत कराने के उपरांत मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित धनराशि का बन्धपत्र एवं प्रतिभूति पत्र 07 दिन के भीतर निष्पादित करेंगे। यदि इन 07 दिन की अवधि से पूर्व गिरफ्तार कर लिया जाता है , तो 1,00,000/– रूपये का बन्धपत्र निष्पादित करने पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने तक की अवधि के लिए जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

2. न्यायालय द्वारा विवेचना व विचारण की स्वतन्त्रता के लिए जो भी विधिसम्मत शर्ते अपने आदेश में तय की जायेंगी , उनका पालन करेंगे।

3. शर्तों के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय को अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर विधिसम्मत आदेश पारित करने का अधिकार होगा।

4. दौरान वाद यदि अभियुक्तगण अपने या कोई जमानती अपना निवास/पता परिवर्तित करता है, तो उसकी सूचना 7 दिन के भीतर पत्रावली पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपलब्ध करवायेंगे।

5. विचारण के दौरान कार्यवाही को बाधित नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी भंग किये जाने की सूचना जैसे ही विचारण न्यायालय को प्राप्त होगी, वह आवश्यक जाँच करने के उपरान्त यदि संतुष्ट होता है कि किसी शर्त को भंग किया गया है, तो जमानत को निरस्त कर देगा और अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में ले सकेगा।

दिनांक–12.06.2026

(संजय चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
अमरोहा।